माल और सेवा कर

एक देश

एक कर

एक बाजार

<u>माल और सेवा कर (जीएसटी) पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

प्रश्न 1. जीएसटी क्या है? यह किस प्रकार कार्य करेगा?

उत्तर: जीएसटी समूचे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एक एकीकृत सामान्य बाजार बनाएगा।

जीएसटी विनिर्माता से उपभोक्ता तक माल और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। प्रत्येक स्तर पर प्रदत्त निर्विष्टि करों के क्रेडिट मूल्यवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होंगे, जिससे जीएसटी आवश्यक रूप से प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्यवर्धन पर ही लगने वाला कर होगा। अंतिम उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा प्रभारित जीएसटी का ही वहन करेगा जिसमें पूर्व के सभी चरणों के प्रारंभिक हितलाभ शामिल होंगे।

प्रश्न 2. जीएसटी के हित लाभ क्या-क्या हैं?

उत्तर: जीएसटी के हित लाभों को निम्नानुसार सारबद्ध किया जा सकता है:

- **व्यवसाय और उद्योग के लिए**
  - <u>सरल अनुपालन:</u> एक सुदृढ़ और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था का आधार होगी। अत: सभी करदाता सेवाएं जैसे कि

पंजीकरण, विवरणियां, भुगतान आदि करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी जिससे अनुपालन सरल और पारदर्शी होगा।

- कर दरों और ढांचों में एकरूपता: माल एवं सेवा कर यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचें समूचे देश में एक जैसे होंगे, जिससे व्यवसाय में निश्चितता और सरलता बढ़ेगी। अन्य शब्दों में, जीएसटी से देश में व्यवसाय करना कर निरपेक्ष होगा, भले ही व्यवसाय करने का स्थान कोई भी हो।
- क्रम प्रपात का विलोपन: समूची मूल्य श्रृंखला और राज्यों की सीमाओं में निर्बाध कर क्रेडिटों की प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों का न्यूनतम क्रम प्रपात हो। इससे व्यवसाय करने की छुपी लागतें कम होंगी।
- अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: व्यवसाय करने की लेन-देन संबंधी लागतों में कमी होने से वस्तुत: व्यापार और उद्योग के लिए अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता का मार्ग प्रशस्त होगा।

- विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ: प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों का जीएसटी में समामेलन, निविष्टि माल और सेवाओं का संपूर्ण और समग्र प्रतितुलन और केंद्रीय बिक्री (सीएसटी) को चरणबद्ध रूप से हटाना स्थानीय रूप से विनिर्मित माल और सेवाओं की लागत को कम करेगा। इससे अतंरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं में एकरूपता से अनुपालन लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

- **केंद्र और राज्य सरकारों के लिए**
  - लगाने में सरल और सुकर: केंद्र और राज्य स्तरों पर बहुविध अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। एक सुदृढ़ छोर से छोर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की मदद से जीएसटी को लगाना केंद्र और राज्य स्तर पर अब तक लगाए जा रहे अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक सरल और सुकर होगा।
  - अपवंचन पर बेहतर नियंत्रण: जीएसटी एक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के चलते बेहतर कर अनुपालन में परिणत होगा। मूल्यवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में निर्विष्ट कर क्रेडिट के निर्बाध अंतरण के कारण, जीएसटी के प्रारूप में एक अंतर्निहित तंत्र है जो व्यापारियों को कर अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा।
  - उच्च राजस्व दक्षता: जीएसटी से सरकार के कर राजस्वों के संग्रहण की लागत में कमी आने की आशा है, जिससे उच्च राजस्व दक्षता फलीभूत होगी।

- **उपभोक्ता के लिए**
  - माल और सेवाओं के मूल्य के प्रति एकल और पारदर्शी कर समानुपात: केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जा रहे बहुविध अप्रत्यक्ष करों और साथ ही मूल्यवर्धन के उत्तरोत्तर चरणों में अपूर्ण या बिल्कुल नदारद निर्विष्टि कर क्रेडिटों के कारण आज देश में अधिकांश माल और सेवाओं की लागत अनेक छिपे हुए करों से भारित है। जीएसटी के तहत विनिर्माता से उपभोक्ता तक केवल एक कर होगा जिसके परिणामस्वरूप अंतिम उपभोक्ता को करों की पारर्शिता का लाभ मिलेगा।

- <u>समग्र कर बोझ में राहत:</u> दक्षता से होने वाले लाभ और रिसावों को रोकने के कारण अधिकतर जिंसों पर समग्र कर बोझ कम हो जाएगा जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

प्रश्न 3: केन्द्र और राज्य स्तर के कौन से करों को माल एवं सेवा कर में सम्मिलित किया जा रहा है?

उत्तर:- केन्द्र स्तर पर निम्नलिखित करों को सम्मिलित किया जा रहा है:

क. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,

ख. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क,

ग. सेवा कर,

घ. अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे साधारणतया प्रतिकारी शुल्क के नाम से जाना जाता है, और

ङ. विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क

राज्य स्तर पर निम्नलिखित करों को सम्मिलित किया जा रहा है:

क. राज्य मूल्य वर्धित कर/ बिक्री कर को सम्मिलित किया गया है;

ख. मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जा रहे कर को छोड़कर), केन्द्रीय बिक्री कर (जो केन्द्र द्वारा लगाया और राज्यों द्वारा संग्रहीत किये जाते हैं)

ग. चुंगी और प्रवेश कर,

घ. क्रय कर,

ड. विलासिता कर,

च. लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर

प्रश्न 4:- माल और सेवा कर की पुर: स्थापना में परिणत होने वाली कालानुक्रमिक घटनाएं कौन सी हैं?

उत्तर:- अप्रत्यक्ष करों पर केलकर कार्य दल की रिपोर्ट में पहली बार चर्चा के 13 वर्ष के लंबे सफर के बाद माल एवं सेवा कर को देश में लागू किया जा रहा है। भारत में माल एवं सेवा कर लागू करने के प्रस्ताव के संबंध में प्रमुख घटनाओं का एक संक्षिप्त कालक्रम निम्न प्रकार है:-

क. 2003 में, अप्रत्यक्ष करों पर केलकर कार्य दल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का सुझाव दिया था।

ख. वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में पहली बार 01 अप्रैल, 2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था।

ग. चूंकि प्रस्ताव में न केवल केन्द्र द्वारा अपितु राज्यों द्वारा भी लगाये जा रहे अप्रत्यक्ष करों में सुधार/पुनर्संरचना शामिल थी, इसलिए माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन हेतु एक रूपरेखा और मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) को सौंपी गई थी।

घ. भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर समिति (ई सी) ने नवम्बर, 2009 में भारत में माल एवं सेवा कर पर प्रथम चर्चा पत्र जारी किया ।

ड. माल एवं सेवा कर संबंधी कार्य को आगे ले जाने के लिए, सितम्बर, 2009 में केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों का एक संयुक्त कार्य दल गठित किया गया था।

च. माल एवं सेवा कर को प्रारंभ करने के लिए संविधान में अपेक्षित संशोधन करने हेतु मार्च, 2011 में लोक सभा में संविधान (115 वां संशोधन) विधेयक पुर: स्थापित किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विधेयक की जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु वित्त की स्थायी समिति को भेजा गया था,

छ. इसी बीच, 8 नवम्बर, 2012 की केन्द्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के बीच हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भारत सरकार, राज्य सरकारों और अधिकार प्राप्त समिति के अधिकारियों की एक "जीएसटी डिजाइन समिति" गठित की गई थी।

ज. इस समिति ने संविधान (115 वां) संशोधन विधेयक सहित माल एवं सेवा कर की रूपरेखा पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और जनवरी, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर, अधिकार प्राप्त समिति ने जनवरी, 2013 में भुवनेश्वर में हुई अपनी बैठक में संविधान संशोधन विधेयक में कतिपय परिवर्तन करने की सिफारिश की।

झ. भुवनेश्वर में हुई बैठक में अधिकार प्राप्त समिति ने माल एवं सेवा कर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और अपनी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की निम्नलिखित तीन समितियां गठित करने का भी निर्णय लिया:-

(क) आपूर्ति स्थल नियम और राजस्व तटस्थ दरों पर समिति;

(ख) दोहरे नियंत्रण, प्रारंभिक सीमाओं और छूट पर समिति;

(ग) आयात पर आईजीएसटी और जीएसटी पर समिति

ञ. संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त, 2013 में लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और संसदीय स्थायी सिमति की सिफारिशों पर विधायी विभाग से परामर्श करते हुए मंत्रालय में जांच की गई। अधिकार प्राप्त समिति और संसदीय स्थायी समिति द्वारा दी गई अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और प्रारूप संशोधन विधेयक को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया।

ट. उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करते हुए अंतिम मसौदा संवैधानिक संशोधन विधेयक सितम्बर, 2013 में विचारार्थ अधिकारप्राप्त समिति को भेजा गया था।

ठ. अधिकारप्राप्त समिति ने नवम्बर, 2013 में शिलांग में अपनी बैठक के बाद विधेयक पर पुन: कतिपय सिफारिशें की थी। अधिकारप्राप्त समिति की कतिपय सिफारिशों को मसौदा संविधान (115वां संशोधन) विधेयक में सम्मिलित किया गया। संशोधित मसौदा मार्च, 2014 में अधिकारप्राप्त समिति को विचारार्थ भेजा गया था।

ड. मार्च, 2011 में लोक सभा में पुर:स्थापित जीएसटी की शुरूआत के लिए 115वां संवैधानिक (संशोधन) विधेयक, 2011, 15वीं लोक सभा के भंग होने के साथ कालातीत हो गया।

ढ. जून, 2014 में, मसौदा संविधान संशोधन विधेयक नई सरकार के अनुमोदन के पश्चात अधिकारप्राप्त समिति को भेजा गया था।

ण. विधेयक की रूप-रेखा पर अधिकारप्राप्त समिति के साथ हुई व्यापक आम सहमति के आधार पर, मंत्रिमंडल ने 17.12.2014 को देश में माल और सेवा कर (जीएसटी) की पुर:स्थापना को सुकर करने के लिए भारत के संविधान को संशोधित करने के लिए संसद में विधेयक की पुर:स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किर दिया। विधेयक 19.12.104 को लोक सभा में पेश किया गया था और 06.05.1015 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद इसे राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया जिसने 22.07.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रश्न 5: जीएसटी को भारत में कैसे प्रशासित किया जाए?

उत्तर: भारत के संघीय ढांचे को देखते हुए, जीएसटी के दो घटक होंगे - केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)। केन्द्र और राज्य दोनों पूरी मूल्य श्रंखला में एक साथ जीएसटी अधिरोपित करेंगे। केन्द्र, केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिरोपित और संग्रहीत करेगी, और राज्य, राज्य के भीतर सभी संव्यवहारों पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) अधिरोपित और संग्रहीत करेंगे। सीजीएसटी की निविष्टि कर क्रेडिट प्रत्येक चरण में उत्पाद पर सीजीएसटी दायित्व के निवर्हन पर उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, निविष्टियों पर

प्रदत्त एसजीएसटी की क्रेडिट की अनुमति उत्पाद पर एसजीएसटी के भुगतान के दी जाएगी। क्रेडिट की क्रॉस उपयोगिता की अनुमति नहीं होगी।

प्रश्न 6: माल और सेवाओं के किसी विशिष्ट संव्यवहार पर केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के तहत एक साथ कर कैसे लगाया जाएगा।

उत्तर: केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी, छूटप्राप्त माल और सेवाओं, माल जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और संव्यवहार जो निर्धारित प्रारंभिक सीमा से नीचे हैं, को छोड़कर माल और सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक संव्यवहार पर एक साथ अधिरोपित किया जाएगा। इसके अलावा, दोनों को राज्य वैट, जिसे केन्द्रीय उत्पादशुल्क को मिलाकर माल के मूल्य पर अधिरोपित किया जाता है, के विपरीत एक ही कीमत या मूल्य पर अधिरोपित किया जाएगा।

राज्य के भीतर दोहरे जीएसटी नमूने की कार्यप्रणाली का एक आरेखी निरुपण नीचे आकृति 1 में दर्शाया गया है।

आकृति 1: राज्य के भीतर जीएसटी

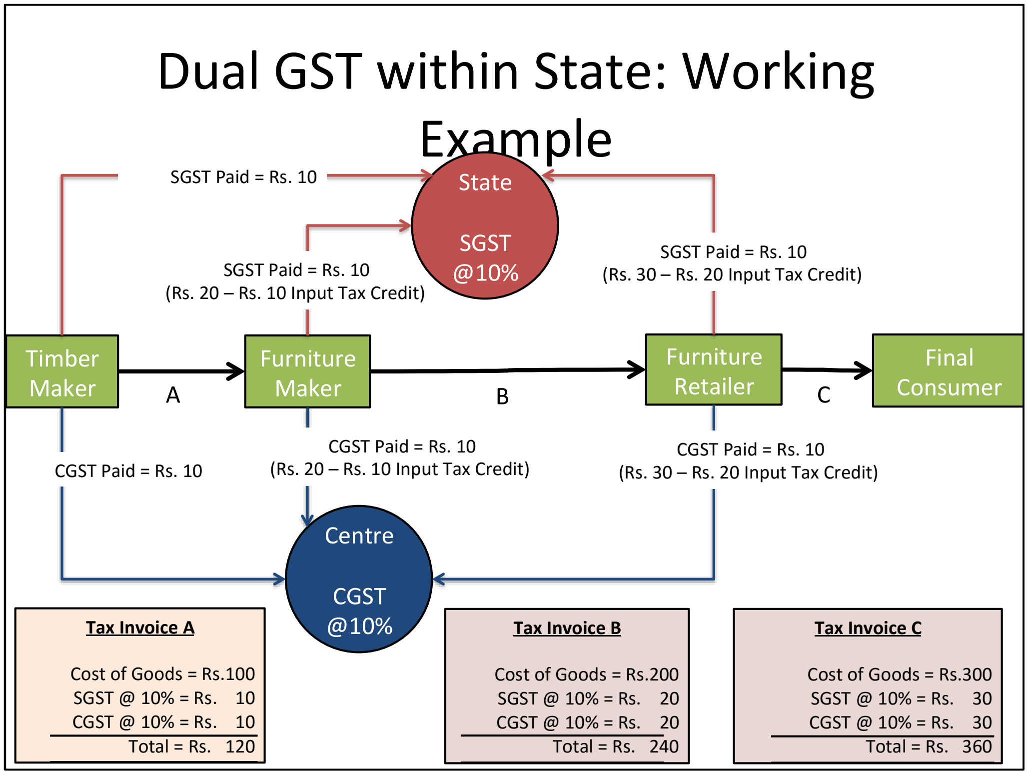

प्रश्न 7. क्या जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के बीच में क्रेडिट की आपस में (क्रॉस) उपयोगिता की अनुमति दी जाएगी?

उत्तर:- वस्तुओं और सेवाओं के बीच सीजीएसटी के क्रेडिट की आपस में (क्रास) उपयोगिता की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार एसजीएसटी के मामले में क्रेडिट की आपसी उपयोगिता की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तथापि सीजीएसटी और एसजीएसटी की आपसी उपयोगिता की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय आईजीएसटी मॉडल के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के मामले में जिसे अगले प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है।

प्रश्न 8. आईजीएसटी की पद्धति की शर्तों के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय लेन-देन पर किस प्रकार कर लगाया जाएगा?

उत्तर:- अंतर्राज्यीय लेन-देन के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 269क (1) के अंतर्गत केंद्र, वस्तुओं और सेवाओं की संपूर्ण अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर समेकित वस्तु और सेवाकर (आईजीएसटी) का उद्ग्रहण और संग्रहण करेगा। आईजीएसटी मोटे तौर पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होगा। आईजीएसटी तंत्र को इस प्रकार डिजाइन किया गया है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आगत कर क्रेडिट का निरंतर प्रवाह हो सके। अंतर्राज्यीय विक्रेता, अपनी खरीद पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट का समायोजन करने के पश्चात् अपनी वस्तुओं की बिक्री के संबंध में (उस क्रम में) केंद्र सरकार को आईजीएसटी का भुगतान करेगा। निर्यातक राज्य, आईजीएसटी के भुगतान में प्रयोग किए गए एसजीएसटी के क्रेडिट को केंद्र को अंतरित करेगा। आयातक डीलर अपने राज्य में अपने निर्गत कर की देयता (सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों) का निर्वहन करते समय आईजीएसटी के क्रेडिट का दावा करेगा। केंद्र, एसजीएसटी के भुगतान में प्रयोग किए गए आईजीएसटी के क्रेडिट को आयातक राज्य को अंतरित करेगा। चूंकि जीएसटी गंतव्य आधारित कर है। अत: अंतिम उत्पाद पर लगने वाला सारा एसजीएसटी सामान्यत: उपभोक्ता राज्य को प्राप्त हो जाएगा।

अंतर्राज्यीय लेन-देन के संबंध में आईजीएसटी मॉडल के कार्यकरण का आकृतिनुमा प्रस्तुतिकरण निम्न आकृति 2 में दर्शाया गया है।

आकृति 2

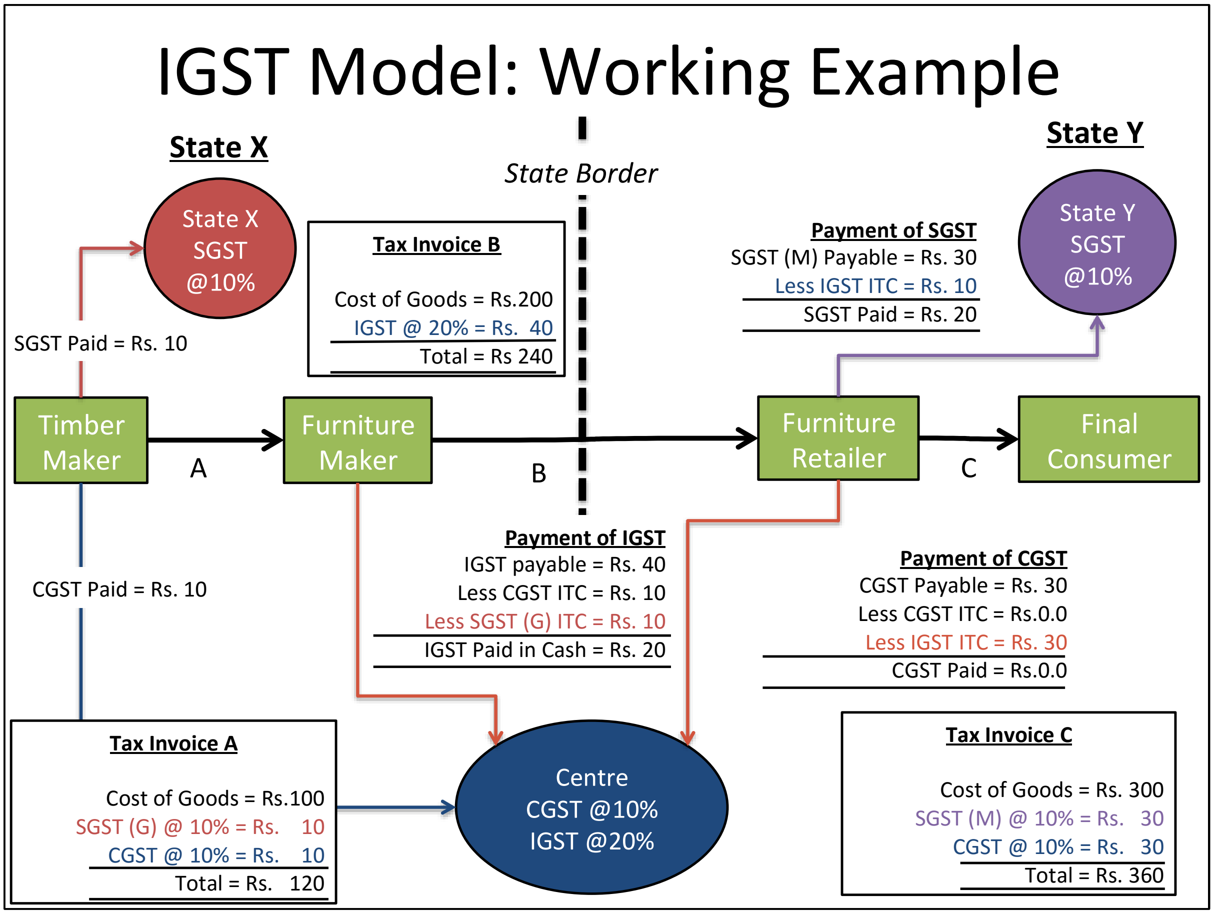

प्रश्न 9. जीएसटी के कार्यान्वयन में आईटी का प्रयोग कैसे किया जाएगा?

उत्तर:- देश में जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य पणधारियों को सांझी आईटी आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक गैर-लाभ, गैर-सरकारी कंपनी के रूप में संयुक्त रूप से वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को पंजीकृत किया है। जीएसटीएन के मुख्य उद्देश्य, करदाताओं को मानक और एक समान इंटरफेस तथा केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सांझी आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करना है।

जीएसटीएन, अत्याधुनिक तकनीक वाली व्यापक आईटी आधारभूत संरचना को विकसित करने के संबंध में कार्य कर रहा है जिसमें पंजीकरण की फ्रंट एंड सेवाएं, सभी करदाताओं को रिटर्न और भुगतान तथा कतिपय राज्यों के लिए बैक एंड आईटी मॉड्यूल जिसमें रिटर्नों, पंजीकरण, लेखापरीक्षा, निर्धारण, अपील इत्यादि पर कार्रवाई करना शामिल है, प्रदान करने वाला एक समान जीएसटी पोर्टल शामिल है। जीएसटी के अधिशासन के लिए सभी राज्य, लेखा प्राधिकरण, आरबीआई और बैंक भी अपनी-अपनी आईटी आधारभूत संरचना तैयार कर रहे हैं।

रिर्टनों को मैनुअल आधार पर फाइल नहीं किया जाएगा। सभी करों का भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। गलत मिलान की गई रिर्टनें, स्वत: तैयार हो जाएंगी और मैनुअल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधिकांश रिर्टनों का स्वयं निर्धारण किया जाएगा।

प्रश्न संख्या 10. जीएसटी के अंतर्गत आयात पर किस प्रकार कर लगाया जा सकेगा?

उत्तर: इस समय आयात पर जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या सीबीडी और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या एसएडी लगाया जा रहा है उसे जीएसटी के अंतर्गत कर दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 269 क के उपवाक्य (ए) में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के भूक्षेत्र में सभी प्रकार के आयात पर आइजीएसटी लगायी जाएगी। वर्तमान व्यवस्था के विपरीत, राज्यों जहां आयातित वस्तुओं का उपभोग होता है उनको आयातित वस्तुओं पर प्रदत्त इस आईजीएसटी से अपना हिस्सा मिलेगा।

प्रश्न संख्या 11. संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं?

उत्तर: इस विधेयक की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

क) संसद और राजविधान मण्डलों दोनों को साथ साथ वस्तु एवं सेवाकर पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करना।

ख) विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और करारोपणों (लेबियों) जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवाकर, अतिरिक्त सीमा शुल्, सामानता जिसे प्रतिकारी शुल्क के नाम से जाना जाता है और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क को सम्मिलित कर दिया गया है।

ग) राजमूल संवर्धन कर/विक्री कर, मनोरंजन कर (उनकसे भिन्न जो स्थानी निकायों पर लगाये जाते हैं) केंद्रीय बिक्री कर (जिनको केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा वसूला जाता है), चुंगी और प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर, लॉटरी, बाजी और जुए पर कर को सम्मिलित कर दिया गया है।

घ) संविधान के अंतर्गत दी गई '' विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं, की अवधारणा को लागू करना;

ङ) व्यापार और सेवाओं के अन्तर्राज्यीय संव्यवहार पर समेकित वस्तु एवं सेवा कर लगाना।

च) मानवीय खपत के लिए काम आने वाले अल्कोहल युक्त पदार्थ को छोड़कर सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगाना। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी को बाद में लगाया जाएगा जिसकी तारीख गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स कांउसिल की सिफारिश पर अधिसूचित की जाएगी।

छ) वस्तु एवं सेवा कर के लागू किए जाने के कारण राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि तक राजस्व की जो हानि होगी उसकी भरपायी की जाएगी।

ज) गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स कांउसिल का गठन करना जोकि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित कर के बारे में जाँच परख करेगी और संघ तथा राज्यों को, दर, कर और उपकर और अधिभार जिसको कि सम्मिलित किया जाना है, छूट की सूची, प्रारंभिक सीमा, मॉडल जीएसटी कानून आदि के बारे में सिफारिशें देगी। यह परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करेगी और इसमें राज्य सरकारों को सदस्यता प्राप्त होगी।

प्रश्न संख्या 12. जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित पंजीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं?

उत्तर: जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित पंजीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

i. **वर्तमान डीलर:** वैट/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर के वर्तमान आवेदक जीएसटीके अंतर्गत पंजीकरण के लिए नये सिरे से आवेदन करेंगे।

ii.**नये डीलर:** जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एक ही आवेदन को तथा उसे भी ऑनलाइन भरना होगा।

iii.पंजीकरण संख्या पैन आधारित होगी और इससे केंद्र और राज्य दोनों के लिए लागू होगी।

iv. दोनों ही कर प्राधिकारियों को दिया जाने वाला आवेदन एक ही होगा।

v. प्रत्येक डीलर को ID GSTIN दिया जाएगा।

vi. यह मान लिया जाएगा कि तीन दिन के भीतर अनुमोदन दे दिया गया है।

vii. केवल जोखिम आधारित मामलों में ही पंजीकरण परांत सत्यापन किया जाएगा।

प्रश्न संख्या 13. जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न भरने की प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं?

उत्तर: जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न भरने की प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क. केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए **एक ही रिटर्न** भरा जाएगा।

ख. रिटर्न को भरने के लिए जीएसटी व्यापारी प्रक्रिया में आठ फार्म दिए जाएंगे। ज्यादातर औसत करदाता अपने रिटर्न भरने के लिए केवल चार फार्मों को ही प्रयोग करेंगे। आपूर्ति रिटर्न, खरीद के लिए रिटर्न, मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न इतने प्रकार के रिटर्न होंगे।

ग. **छोटे कर दाता**: छोटे कर दाता जिन्होंने कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प दिया है, त्रैमासिक आधार पर रिटर्न भरा करेंगे।

घ. रिटर्न को भरने का काम पूर्णतया ऑनलाइन होगा और सभी कर ऑनलाइन भरे जाएंगे।

प्रश्न संख्या 14. जीएसटी के अंतर्गत भुगतान की प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रमुख बातें क्या क्या हैं?

उत्तर: जीएसटी के अंतर्गत भुगतान की प्रस्तावित प्रक्रिया की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

i. इलैक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया- किसी भी स्तर पर कागज का प्रयोग नहीं होगा।

ii. चालान तैयार करने के लिए सिंगल पाइन्ट इंटरफीस-जीएसटीएन

iii. आसान भुगतान- भुगतान केवल ऑनलाइन् बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी/आईटीजीएस के माध्यम से और बैंक में चेक/नकर के माध्यम से किया जा सकता है।

iv. चालान फार्म एक ही होगा जिसमें ऑटो - पापुलेशन फीचर्स होंगे।

v.सिंगल चालान और सिंगल पेमेंट इन्ड्रूमेंट का प्रयोग किया जाएगा।

vi. प्राधिकृत बैंकों का एक कॉमन सैट होगा।

vii.कॉमन एकांउटिंग कोड्स।